



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

8190 / शुल्क / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2024

दिनांक 29/11/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
ज्ञानोदय विश्वविद्यालय
नीमच (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.10.2024 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty Of Management Studies	BBA	30000	23800	4200	28000
2		MBA	80000	63750	11250	75000
3		MBA In Hospital & Health Care Management	85000	68000	12000	80000
4	Faculty Of Commerce	B.COM (PLAIN)	20000	17000	3000	20000
5		B.COM (COM)	22000	18700	3300	22000
6		M.COM	20000	17000	3000	20000
7	Faculty Of Engineering	Diploma CS	40000	32300	5700	38000
8		B.Tech(CS)	60000	46750	8250	55000
9		B.Tech(Electrical)	60000	46750	8250	55000

// 02 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

10		M.Tech(CS)	60000	46750	8250	55000
11		M.Tech(IEM)	60000	46750	8250	55000
12		M.Tech(Energy Tech)	60000	46750	8250	55000
13	Faculty Of Computer Application	BCA	30000	23800	4200	28000
14		MSC CS	24000	20400	3600	24000
15		DCA	12000	10200	1800	12000
16		PGDCA	14000	11900	2100	14000
17	Faculty Of Agriculture	BSc(Agriculture)	70000	51000	9000	60000
18	Faculty Of Science	BSc (PCMBZ)	20000	17000	3000	20000
19		B.Sc.(Biotech)	30000	23800	4200	28000
20		Msc Maths	30000	23800	4200	28000
21		Msc Physics	30000	23800	4200	28000
22		Msc Chemistry	30000	23800	4200	28000
23		Msc Biotech	36000	27200	4800	32000
24	Faculty Of Library Science	B.Lib	24000	20400	3600	24000
25	Faculty Of Arts & Humanities And Culutre, Social Work	BA	18000	15300	2700	18000
26		MA Hindi	24000	18700	3300	22000
27		MA English	24000	18700	3300	22000
28		MA Psychology	24000	18700	3300	22000
29		MA Political Science	24000	18700	3300	22000
30		MA ECONOMICS	24000	18700	3300	22000
31		MA Sociology	24000	18700	3300	22000
32	Faculty Of Social Work	BSW	20000	17000	3000	20000
33		MSW	24000	18700	3300	22000
34	Faculty Of Pharmacy	B.PHARM	70000	55250	9750	65000
35		D.PHARM	60000	46750	8250	55000
36		M Pharma In Chemistry	75000	59500	10500	70000
37		M.Pharm In Pharmaceutical	75000	59500	10500	70000
38	Gyanodaya The College Of Excellence (Polytechnic)	Diploma In Mechanical	36000	27200	4800	32000
39		Diploma In Civil	36000	27200	4800	32000
40		Diploma In Electrical	36000	27200	4800	32000

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

[Signature]

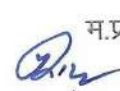
[Signature]

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)


(सुनील खरे)
प्रबंधक


म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल
भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ / 2024

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।


प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल